झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0)–जामताड़ा/PDS (card)–13/2024– 719

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 04.11.2024

विषयः– **जाति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण राशन कार्ड सम्बन्धी आवेदन रद्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि श्रीमती रोमा देवी, ग्राम–बुद्धुडीह, थाना+जिला–जामताड़ा का आवेदन–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा हरा राशन कार्ड सम्बन्धी आवेदन पर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। प्राप्त आवेदन–पत्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–WA/790/2024 दिनांक–04.10.2024 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को प्रेषित की गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक–502 दिनांक–05.10.2024 द्वारा उक्त मामले में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका के ऑनलाईन आवेदन के साथ जाति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा उक्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी लातेहार जिला में जाति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण सम्बन्धित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड सम्बन्धी आवेदन रद्द कर दिये जाने की शिकायत आयोग को प्राप्त हुई थी, जिन्हें अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–649 दिनांक–24.09.2024 द्वारा विभाग को प्रेषित किया गया था।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/11/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx518

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com

2446
08/10/24

(05)

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक....502..... / जि0आ0

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
जामताड़ा।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड राँची।

1374
8.10.24

जामताड़ा, दिनांक....05/10/24

विषयः– WhatsApp पर प्राप्त आवेदन/अनुरोध के निवारण के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–WA/790/2024, दिनांक–04.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कहना है कि पत्र में उल्लेखित आवेदिका श्रीमति रोमा देवी का Online आवेदन (Acknowledgement No. 3638020281) के साथ जाति प्रमाण पत्र Upload/संलग्न नहीं रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा श्रीमति रोमा देवी का आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।आवेदिका द्वारा आवश्यक दस्तावेज के साथ पुनः Online आवेदन किए जाने पर ग्रीन राशन कार्ड निर्गत करने हेतु त्वरीत कार्रवाई की जायेगी।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

05/10/24
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
जामताड़ा।
05/10/24

ज्ञापांक....502.... जि0आ0 जामताड़ा दिनांक.....05/10/24.............
प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
जामताड़ा।
05/10/24

E:\WhatsApp_Complaint_Ranchi.docx

(04)

(349)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

Search By Acknowledgement No

Acknowledgement No : 3638020281

Rationcard No :		Cardtype :	**GREEN**
Member Name :	**ROMA DEVI**	Father/Husband Name :	**MANOJ HARI**
District :	**Jamtara**	Block :	**Jamtara**
Village :	**Budhudih**	Applied Date/ Mapped :	**13-03-2024**
Dealer :	**ASHOK MANDAL**	Dealer License No :	7-93
Requested For :	**New Rationcard Application**	Status :	**Rejected by BSO /Caste Certificate not attch**